Office of the: Chief Executive Officer (CEO)
Chhattisgarh State Skill Development Authority (CSSDA)
Nodal Department – Skill Development, Technical Education & Employment Deptt.

CSSDA. Building, Old Police Head Quarter, Near Rajbhavan, Raipur (CG)-492006

क्रमांक/245/CSSDA / 2020 रायपुर दिनांक ..29.01.2020

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला कौशल विकास प्राधिकरण
समस्त जिला, छत्तीसगढ़

विषयः- **वीटीपी पंजीयन हेतु NSQF आधारित कोर्स में बैच साईज के आधार पर लैब के क्षेत्रफल एवं टुल लिस्ट के निर्धारण हेतु वेब-पोर्टल में संशोधन होने विषयक।**

-- 00 --

उपरोक्त विषयार्न्तत लेख है कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत कोर्सेस में बैच साईज की अधिकतम संख्या निर्धारित है, अधिकतम संख्या के मापदण्ड के आधार पर ही संबंधित कोर्स में कौशल प्रशिक्षण (व्यवहारिक) हेतु लैब का क्षेत्रफल निर्धारित कर, पंजीयन किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु वीटीपी पंजीयन के लिए निर्धारित आवेदन फार्म के पार्ट A के अनिवार्य बिन्दु क्रमांक 6 एवं 7 में पूर्व में निम्नानुसार अधोसरंचना होना आवश्यक किया गया था।

बिन्दु क्र. 6 में पूर्व में Theory Classroom area / Capacity of Classroom (For each Classroom) के संबंध में निम्नानुसार लेख था :-

"Minimum space requirement for classroom is as per NSQF course norms or minimum 300 square feet if details are not available under NSQF course guideline. Minimum space requirement per trainee in each Classroom is 10 Square Feet"

बिन्दु क्र. 7 में पूर्व में Lab area/ capacity of laboratory के संबंध में निम्नानुसार लेख था :-
"Minimum space requirement for each Laboratory is as per NSQF course norms or minimum 300 square feet if details are not available under NSQF course guideline. Lab floor area should be in proportion to the course requirements. Minimum space requirement per trainee in each Laboratory is 10 Square Feet"

क्रमशः 2

वीटीपी पंजीयन के लिए NSQF कोर्स में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु लैब का क्षेत्रफल, कोर्स विशेष में न्यूनतम बैच साईज 20, एवं 25 अथवा 30 का मापदंड रखते हुए वीटीपी निरीक्षण समिति के द्वारा निरीक्षण के समय ही लैब के क्षेत्रफल (10 स्केवर फीट प्रति प्रशिक्षणार्थी) के आधार पर, आवेदित संस्था के लिए उस कोर्स में प्रशिक्षण बैच की अधिकतम साईज निर्धारित करने हेतु, वीटीपी पंजीयन के आवेदन प्रपत्र के पार्ट A में सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही साथ योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत 705 कोर्सेस में से 555 कोर्स में प्रशिक्षण हेतु हाईब्रिड क्लासरूम की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें प्रशिक्षण के संचालन हेतु अलग से क्लास रूम की आवश्यकता नही होती है, अतः बिन्दु क्र. 6 एवं 7 के समक्ष Availability (Please Mention) कॉलम में

बिन्दु क्र 6

Classroom	1		2	
Session	M	E	M	E
Sector Name				
Course Name				
Laboratory Size	LxW = T		LxW = T	

बिन्दु क्र 7

Lab	1		2	
Session	M	E	M	E
Sector Name				
Course Name				
Laboratory Size	LxW = T		LxW = T	

के स्थान पर संशोधन करते हुए निम्नानुसार किया गया है :-

बिन्दु क्र 6 में संशोधन –

Classroom	1		2	
Session	M	E	M	E
Sector Name				
Course Name				
Hybrid Class Room	Yes ◯ or No ◯		Yes ◯ or No ◯	
Batch Size	20 ◯ or 25 ◯ or 30 ◯		20 ◯ or 25 ◯ or 30 ◯	
Laboratory Size	LxW = T		LxW = T	

In case of, Hybrid classroom "Yes", then the message will be displayed "only the lab will be required to conduct the training"

बिन्दु क्र 7 में में संशोधन –

Lab	1		2	
Session	M	E	M	E
Sector Name				
Course Name				
Batch Size	20 ◯ or 25 ◯ or 30 ◯		20 ◯ or 25 ◯ or 30 ◯	
Laboratory Size	LxW = T		LxW = T	
(X) Is there any Additional Training Area required (apart from Lab or Classroom)	Auto Fill as per Course		Auto Fill as per Course	
Is requirement in column (X) mandatory	Auto Fill as per Course		Auto Fill as per Course	
Minimum Carpet Area of additional Training Area in sq ft [Refer to column (X)]				
Can the lab for this Job Role be treated as IT Lab (IT lab implies the lab for Live or Soft Skills)				
Remarks	Auto Fill as per Course		Auto Fill as per Course	

न्यूनतम बैच साईज के आधार पर कोर्स प्रशिक्षण हेतु आवश्यक टूल्स/औजार/उपकरण की संख्या भी निर्धारित की गई है, इस हेतु आवेदित संस्था द्वारा आवेदन करते समय बिन्दु क्रमांक 8 में संस्था द्वारा ही निर्धारित किये जाने हेतु यह सुविधा उपलब्ध करायी गई है, कि उसके पास संबंधित कोर्स में कितने प्रशिक्षणार्थियों के कौशल प्रशिक्षण हेतु आवश्यक टूल्स/औजार/उपकरण उपलब्ध है। उक्त सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आवेदन फार्म के पार्ट A के अनिवार्य बिन्दु क्रमांक 8 के समक्ष Availability (Please Mention) कॉलम में पूर्व में उल्लेखित व्यवस्थाओं को यथावत रखते हुए उसके ऊपर "Batch Size 20 ◯ or 25 ◯ or 30 ◯" दर्शित करते हुए उक्त तीनों में से किसी एक को चुने जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

आवेदित संस्था को बैच साईज के अनुसार आवश्यक कोर्सवार लैब सेटअप एवं टूल लिस्ट की जानकारी आवेदन करने के पूर्व ही ज्ञात हो सके इस हेतु बैच साईज के अनुसार आवश्यक कोर्सवार लैब सेटअप एवं टूल लिस्ट की जानकारी भी वेब-पोर्टल के होम पेज पर दर्शित की गई है। कोर्सवार लैब सेटअप एवं टूल लिस्ट की जानकारी निम्नलिखित लिंक से प्राप्त की जा सकती है :- https://smart.nsdcindia.org/knowledgebank.aspx#labList

https://smart.nsdcindia.org/knowledgebank.aspx#equiplist

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करेंगें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
छत्तीसगढ़

क्रमांक/246/CSSDA / 2020

रायपुर दिनांक ..28.10.2020

प्रतिलिपि :-

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त नोडल अधिकारी/सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. वीटीपी पंजीयन शाखा, राज्य प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति।
4. राज्य प्राधिकरण के वेब-पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रति।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
- छत्तीसगढ़